25/11/10

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 4, गुरुवार, शाके 1932–नवम्बर 25, 2010 *Agrahayana 4, Thursday, Saka 1932–November 25, 2010*	

भाग 4 (ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 25, 2010

संख्या प. 4(8) विधि/2/2010:–राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2010 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः–

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010

(2010 का अध्यादेश संख्यांक 01)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2010 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान राज्य विधान–सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 37 का संशोधन.–राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 37 की उप–धारा (1) में विद्यमान शब्द ''प्रत्येक'' के पश्चात् और विद्यमान शब्द ''सदस्य'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''अध्यक्ष और'' अन्तःस्थापित की जायेगी और विद्यमान अभिव्यक्ति ''कलक्टर या इस प्रयोजन के लिए उसके नामनिर्देशिती'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 53 का संशोधन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53 हटायी जायेगी।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 73 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 73 की उप–धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जहां कोई नगरपालिका किसी विहित समूह आवासन या नगरी परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए किसी नगरपालिक भूमि को पट्टे पर देती है, विक्रय करती है, आबंटित करती है या अन्यथा अन्तरित करती है तो ऐसा पट्टा, विक्रय, आबंटन या अन्तरण इस शर्त के अध्यधीन किया जायेगा कि ऐसी परियोजनाओं में भू–खण्डों या आवासन इकाइयों का कम से कम बीस प्रतिशत ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह को कीमतों की पारस्परिक सहायता देकर ऐसी रियायती दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, आबंटित किये जायेंगे।''।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 87 का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 87 की उप–धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''तथापि, अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करने के पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।'' हटायी जायेगी।

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 88 का संशोधन.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 88 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"**88. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी.**—(1) नगरपालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिवस तक, ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी और उसकी एक प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और यदि बजट प्राक्कलनों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि नगरपालिका के हित में बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो वह परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे।

(2) जहां कोई नगरपालिका उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार बजट प्राक्कलन पारित करने में विफल रहती है तो बजट प्राक्कलन तैयार करना और उस वर्ष की फरवरी के अट्ठाइसवें दिवस को या उसके पूर्व उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना मुख्य नगरपालिक अधिकारी के लिए आज्ञापक होगा। राज्य सरकार बजट प्राक्कलनों को उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी और उन्हें नगरपालिका द्वारा पारित किया हुआ समझा जायेगा।

(3) नगरपालिक निधियों में से किसी व्यय के संबंध में कोई कार्य–आदेश या मंजूरी, अनुमोदित बजट में समुचित उपबंध के बिना, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, के सिवाय न तो अनुमोदित की जायेगी और न ही जारी की जायेगी। किसी भी उल्लंघन के मामले में अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिक अधिकारी या ऐसे कार्य–आदेश या मंजूरी जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी ऐसे व्यय के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः उत्तरदायी होंगे और वह उनसे वसूलीय होगा।"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 89–क का अंतःस्थापन.–मूल अधिनियम की धारा 89 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"89–क. **नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन.**–(1) प्रत्येक नगरपालिका, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी, जिसे इस धारा में आगे "निधि" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) ऐसा प्रतिशत, जो किसी नगरपालिका के वार्षिक बजट अनुदानों के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, नगरपालिका के भीतर गन्दी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए चिह्नित होगा और अनन्य रूप से उसी के लिए उपयोग में लिया जायेगा और ऐसी कोई रकम जो चालू वर्ष में अप्रयुक्त रह जाती है व्यपगत नहीं होगी और निधि में जमा की जायेगी और आगामी वर्ष में उस वर्ष के बजट अनुदानों के अतिरिक्त उपयोग में लिये जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(3) निधि में निम्नलिखित नगरपालिक बजट संसाधनों में से आबंटन किया जायेगा, अर्थात् :–

(क) नगरपालिका के स्वयं के राजस्व संसाधन, जैसे कि कर, फीस, उपयोक्ता प्रभार, किराया इत्यादि;

(ख) समनुदेशित राजस्व;

(ग) केन्द्रीय या राज्य वित्त आयोगों और अन्य अन्तर–सरकारी अन्तरणों से आवंटन;

(घ) गरीबों के लिए सेवाओं के लिए व्यष्टियों, संगठनों या अन्य दानदाताओं से नकद या वस्तुओं में अभिदाय या दान;

(ङ) बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से अनुदान;

(च) नगरपालिक आस्तियों का विक्रय; और

(छ) अन्य संसाधन जो नगरपालिका द्वारा अवधारित किये जायें।

(4) निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये पृथक् बैंक खाते में रखी जायेगी जिसे 'नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि' के नाम से जाना जायेगा।

(5) निधि–लेखों के प्रचालन के लिए राष्ट्रीय नगरपालिक लेखा निर्देशिका के अनुसार विस्तृत लेखा शीर्षों सहित लेखों की पृथक् प्राथमिक पुस्तकें संधारित की जायेंगी।

(6) नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निधियों के आबंटन और इनके उपयोग का ब्यौरा रखा जायेगा और पूर्व वर्ष के आकड़ों के साथ वार्षिक नगरपालिक बजट के साथ संलग्न किया जायेगा।

(7) इस धारा में यथा उपबन्धित के सिवाय, नगरपालिक निधि के प्रचालन और उसके लेखा और लेखापरीक्षा से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन गठित निधि पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(i) नगरपालिका द्वारा प्राप्त ऐसा कोई भी अनुदान या अभिदाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, जो अनन्य रूप से गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों के विकास के लिए है, उपयुक्त चिह्नित निधियों का भाग नहीं होगा; और

(ii) 'आधारभूत सेवाओं' में जलप्रदाय, जल–निकास, मलवहन, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, सड़कों को जोड़ना, मार्गों में प्रकाश, सावर्जनिक उद्यान और खेल के मैदान, सामुदायिक और जीविका केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्व–प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा केन्द्र और निर्धनों के लिए सामर्थ्य के अनुरूप आवासन और नगरपालिका द्वारा यथा अवधारित अन्य सेवाओं पर प्रत्यक्षतः उपगत पूंजी

और राजस्व खाते पर व्यय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें ऐसे वेतन और मजदूरी, जो गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं देने के लिए प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः उपगत न हुई हो, सहित स्थापन व्यय सम्मिलित नहीं होंगे।''।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 102 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 102 की उप–धारा (1) में,—

(क) खण्ड (क) में विद्यमान शब्द ''भवनों'' के पश्चात् और अभिव्यक्ति ''पर कर'' के पूर्व अभिव्यक्ति '',चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाये,'' अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ख) खण्ड (ग) में अभिव्यक्ति ''नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित'' हटायी जायेगी।

9. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 103 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 103 की उप–धारा (1) के खण्ड (ix) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''आधे प्रतिशत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दस प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 122 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 122 में,—

(क) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

''(ख) आवेदक द्वारा उससे इस प्रकार दावाकृत रकम का पच्चीस प्रतिशत नगरपालिक कार्यालय में जमा न करा दिया गया हो''; और

(ख) विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

11. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 161 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 161 में, विद्यमान शब्द ''नगरपालिका'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राज्य सरकार'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 282 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 282 की उप–धारा (1) में,—

(क) खण्ड (द) में, विद्यमान शब्द ''या'' हटाया जायेगा ;

(ख) खण्ड (ध) में, विद्यमान विराम चिन्ह '','' के पश्चात् शब्द ''या'' जोड़ा जायेगा; और

(ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (न) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(न) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित कोई भी अन्य क्रियाकलाप,"।

13. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 331 का संशोधन.–मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 331 हटायी जायेगी।

शिवराज पाटिल,
राज्यपाल, राजस्थान।

सत्य देव टाक,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)
NOTIFICATION
Jaipur, November 25, 2010

No. F. 4 (8) Vidhi/2/2010.–In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagarpalika (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010 (2010 Ka Adhyadesh Sankhyank 01) promulgated by him on the 24th day of November, 2010:–

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010
(Ordinance No. 01 of 2010)
(Made and promulgated by the Governor on the 24th day of November, 2010)

An
Ordinance

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied

that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) This Ordinance may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Ordinance, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 37 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009(Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing word "Every" and before the existing word "member", the expression "Chairperson and" shall be inserted and for the existing expression "the Collector or his nominee", the expression "an officer authorized by the State Government by a general or special order" shall be substituted.

3. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-The existing section 53 of the principal Act shall be deleted.

4. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 73 of the principal Act, after the existing proviso and before the existing explanation, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that where a Municipality leases out, sells, allots or otherwise transfers any municipal land for carrying out prescribed group housing or township projects, such lease, sale, allotment or transfer shall be made subject to the condition that at least twenty percent of plots or housing units in such projects shall be allotted to the persons belonging to such Economically Weaker Section and Low Income Group at such concessional rates through

cross subsidization of prices as may be notified by the State Government.".

5. Amendment of section 87, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 87 of the principal Act, the existing expression "However, before submission to the Municipality for approval, the financial estimates shall be approved by the Finance Committee." shall be deleted.

6. Amendment of section 88, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-For the existing section 88 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**88. Sanction of budget estimate of Municipality.**- (1) The Municipality shall consider the budget estimate and shall, by the fifteenth day of February in each year, adopt the budget estimate for the ensuing year with such changes as it may consider necessary, and submit a copy of the same to the State Government through the Director of Local Bodies and if, after considering the budget estimates, the State Government is of the opinion that it is necessary in the interest of Municipality to make changes in budget estimates, it may direct the Municipality to carry out the changes and such directions shall be binding on the Municipality.

(2) Where a Municipality fails to pass the budget estimates according to the provisions of sub-section (1), it shall be mandatory for the Chief Municipal Officer to prepare the budget estimates and submit the same on or before twenty eighth day of February of that year to the State Government. The State Government shall approve the budget estimates with or without modifications and the same shall be deemed to have been passed by the Municipality.

(3) Any work order or sanction regarding any expenditure out of the Municipal Funds shall neither be

approved nor be issued in the absence of proper provision in the approved budget, except in cases where a specific approval has been obtained from the State Government. In case of any violation the Chairperson, the Chief Municipal Officer or any other officer authorized to issue such work order or sanction shall be jointly and severally responsible for such expenditure and the same shall be recoverable from them.".

7. Insertion of section 89-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-After section 89 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**89-A. Constitution of Basic Services to the Urban Poor Fund.**-(1) Every Municipality shall constitute a fund called the Basic Services to the Urban Poor Fund, hereinafter in this section referred as 'the fund', for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality.

(2) Such percent, not being less than twenty five percent, of yearly budget grants of a Municipality as may be prescribed by the State Government shall be earmarked and used exclusively for the purpose of providing basic services to the urban poor including the inhabitants of slum areas within the Municipality and any amount which remains unutilized in the current year shall not lapse and be credited to the fund and shall be available to be utilized in next year in addition to the budget grants of that year.

(3) The allocation to the fund shall be made from the following municipal budget resources, namely:-

(a) Municipality's own sources of revenue like taxes, fees, user charges, rent, etc.;

(b) assigned revenues;

(c) allocations from Central or State Finance Commissions and other inter-governmental transfers;

(d) contributions, in cash or kind, or gifts from individuals, organizations or other donors for services to the poor;

(e) grants from externally aided projects;

(f) sale of municipal assets; and

(g) other sources as determined by the Municipality.

(4) The fund shall be kept in a separate bank account opened with a nationalized bank to be called 'Basic Services to Urban Poor Fund' account.

(5) There shall be maintained separate primary books of accounts with detailed accounting heads in line with the National Municipal Accounting Manual for operation of the fund accounts.

(6) The allocation of the funds and its utilization for providing basic services to the urban poor shall be detailed and enclosed with the municipal annual budget along with corresponding figures of the previous year.

(7) Save as provided in this section, provisions of this Act relating to operation of Municipal Fund and accounts and audit thereof shall apply *mutatis mutandis* to the fund constituted under this section.

Explanation.-For the purpose of this section-

(i) any grant or contribution by whatever name called, received by the Municipality which is exclusively for the development of slum areas shall not be a part of the above earmarked funds; and

(ii) 'basic services' shall include expenditure on capital and revenue account directly incurred on water supply, drainage, sewerage, construction of community toilets, solid waste management, connecting roads, street lighting, public parks and play grounds, community and livelihood centers, community health centers, pre-primary and primary education centers, affordable housing for poor and other services as determined by the Municipality but shall not include establishment expenses, including salary and wages, nor directly and specifically incurred for delivery of basic services to the poor.".

8. Amendment of section 102, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 102 of the principal Act,-

(a) in clause (a) after the existing word "buildings" and before the existing word "situated", the expression "called by whatever name" shall be inserted; and

(b) in clause (c), the expression "owned by, or built from the funds of, the Municipality" shall be deleted.

9. Amendment of section 103, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In clause (ix) of sub-section (1) of section 103 of the principal Act, for the existing expression "half percent", the expression "ten percent " shall be substituted.

10. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 122 of the principal Act,-

(a) for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) twenty five percent of the amount so claimed from the applicant has been deposited by him in the

municipal office."; and

(b) the existing proviso shall be deleted.

11. Amendment of section 161, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In section 161 of the principal Act, for the existing word "Municipality", the expression "State Government" shall be substituted.

12. Amendment of section 282, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-In sub-section (1) of section 282 of the principal Act, -

(a) in clause (r), the existing word "or" shall be deleted;

(b) in clause (s), after the existing punctuation mark "," the word "or" shall be added; and

(c) after clause (s), so amended, the following new clause (t) shall be added, namely :-

"(t) any other activity prescribed by the State Government from time to time,".

13. Amendment of section 331, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-The existing section 331 of the principal Act shall be deleted.

शिवराज पाटिल,

Governor of Rajasthan.

सत्य देव टाक,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.